

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक ८७९/१२६३/२०१८/२०-३
प्रति,

भोपाल, दि ०२/६/२०१८


सचिव
सी०बी०एस०ई०
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद व्यारा अशासकीय संस्था-सागर इंटरनेशनल स्कूल,
अयोध्या बायपास रोड, भोपाल, जिला भोपाल, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर
प्रदान किया जाता है:-


- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश
के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की
कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी
को नामांकित किया जाये।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संस्था से वघन पत्र लिखा जाये।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर
विभाग व्यारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का
अधिकार होगा।
- (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, २०१७ में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य
होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि का
आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।
- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं व्यारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा
नियारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में
पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।


निरन्तर..2


PRINCIPAL
SAGE INTERNATIONAL SCHOOL
NEAR SIRTS, AYODHYA BYPASS RD
Bhopal-462041

//3//

- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल, म0प्र0
- (5) निज सहायक, मान0 मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-सागर इंटरनेशनल स्कूल, अयोध्या बायपास रोड भोपाल, जिला भोपाल, म0प्र0
- (7) फोल्डर प्रति
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्येष्टित।


अवर संघिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


PRINCIPAL
SAGE INTERNATIONAL SCHOOL
NEAR SIRTS, AYODHYA BYPASS ROAD
Bhopal-462041

- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में माना ० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके विवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस विवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की हृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू ऐल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को ऐम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(कलावती उड्के)

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दि० २५/६/२०१८

पृ० कमांक-४१०, 1263/2018/20-3
प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग....., म०प्र०


PRINCIPAL
SAGE INTERNATIONAL SCHOOL
NEAR SIRTS, AYODHYA BYPASS ROAD
BHOPAL-462041

निरक्तर..3